फा. सं. सीसीटी-13011/3/2007-सीए-I(वॉल्यू.-III)
भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

कमरा सं. 622-ए, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
दिनांक: 27 मई, 2021

सेवा में,
कोयला नियंत्रक,
कोयला नियंत्रक संगठन,
काउंसिल हाउस स्ट्रीट,
कोलकाता-700001

विषय: वाशरी रिजेक्ट्स के प्रबंधन एवं निस्तारण के लिए नीति

महोदय,

इस मंत्रालय में कोयला वाशरी रिजेक्ट्स के प्रबंधन और निस्तारण के प्रस्ताव की जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वाशरी रिजेक्ट्स के प्रबंधन और निस्तारण के लिए नीति तैयार की गई है। वर्तमान नीति कोयला वाशरी रिजेक्ट्स के प्रबंधन और निस्तारण को एक समान तरीके से विनियमित करेगी और सभी कोयला वाशरियों पर लागू होगी।

वाशरी रिजेक्ट्स के प्रबंधन एवं निस्तारण के लिए नीति

1. उद्देश्य

क. कोयला वाशरी रिजेक्ट्स को परिभाषित करना

ख. कोयला वाशरी रिजेक्ट्स से अवशिष्ट ऊर्जा के पर्यावरण अनुकूल निष्कर्षण के माध्यम से ऊर्जा के संरक्षण को सुविधाजनक बनाना

ग. प्रदूषण फुटप्रिंट्स को कम करने के उद्देश्य से कोयला रिजेक्ट्स के उपयोग को विनियमित करना

घ. वाशरी परिचालनों की विभिन्न विधियों में रिजेक्ट्स के स्वामित्व का निर्णय करना

ङ. पर्यावरण अनुकूल तरीके से रिजेक्ट्स की स्टेकिंग, खान वॉइड्स/निम्नस्थ क्षेत्रों में रिजेक्ट्स की डंपिंग सुनिश्चित करना

च. निगरानी और नियंत्रण के लिए तंत्र उपलब्ध कराना

2. कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्द – परिभाषित

2.1 **कोयला वाशरी रिजेक्ट्स (सीडब्ल्यूआर)** 2200 केसीएएल/कि.ग्रा. से कम ग्रॉस केलोरिफिक वैल्यू (जीसीवी) वाले कोयला वाशरीज के उप-उत्पाद हैं।

2.2 **हाई केलोरिफिक वैल्यू (एचसीवी) कोयला वाशरी रिजेक्ट्स** 1500 केसीएएल/कि.ग्रा. के बराबर या इससे अधिक जीसीवी वाले रिजेक्ट्स हैं।

2.3 लो **कैलोरिफिक वैल्यू (एलसीवी) कोयला वाशरी रिजेक्ट्स** 1500 केसीएएल/कि.ग्रा. से कम जीसीवी वाले रिजेक्ट्स हैं।

2.4 **सीडब्ल्यूआर का स्वामी** पार्टी होगी, जो वाशरी को आपूर्ति किए गए कच्चे कोयले का स्वामी है। इसके बाद, **स्वामी** शब्द का उपयोग सीडब्ल्यूआर के स्वामी के लिए किया जाएगा।

2.5 **सीडब्ल्यूआर का माना गया स्वामी,** धुलाई के कारण उत्पन्न कोई भी रिजेक्ट्स जिसका उपयोग स्वामी द्वारा नहीं किया जा सकता है, वाशरी ऑपरेटर को बेचा जा सकता है और ऐसे मामले में वाशरी ऑपरेटर को सीडब्ल्यूआर का स्वामी माना जाएगा।

3. सीडब्ल्यूआर की स्टैकिंग

3.1 स्वामी/माना गया स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि एलसीवी और एचसीवी रिजेक्ट्स इस संबंध में जारी पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों के अनुसार चयनित उपयुक्त स्थलों पर अलग से स्टैक किए जाएं।

3.2 प्रत्येक स्टैकिंग स्थल को ठीक से लेवल किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा और 15 मी. अंतराल पर आरएलएस दिखाते हुए एक ग्रिड योजना तैयार की जाएगी।

3.3 सीडब्ल्यूआर की स्टैकिंग के दौरान सभी पर्यावरणीय और सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। स्वत: तापन होने पर उचित सावधानी बरती जाएगी।

3.4 स्वामी/माना गया स्वामी इस संबंध में सीसीओ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जांचे गए प्रत्येक स्टॉक का औसत जीसीवी प्राप्त करेगा।

3.5 प्रारंभिक स्टॉक, महीने के दौरान प्राप्त हुए और स्टॉक से भेजे गए सीडब्ल्यूआर की मात्रा, अंतिम स्टॉक, औसत जीसीवी और अन्य संगत विवरण दर्शाते हुए सीडब्ल्यूआर के प्रत्येक स्टॉक के संबंध में मासिक रिकॉर्ड रखा जाएगा।

3.6 स्वामी/माना गया स्वामी ईसी शर्तों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार रिजेक्ट्स का निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

4. सीडब्ल्यूआर का निस्तारण

4.1 संरक्षण को प्राथमिकता – एचसीवी रिजेक्ट्स से ऊर्जा का निष्कर्षण

4.1.1 चूंकि भारतीय कोयले को सहज रूप से धोना कठिन होता है, रिजेक्ट्स में कैलोरिफिक वैल्यू में हानि प्राय: बहुत अधिक होती है और इसलिए विद्युत उत्पादन और अन्य अनुमत अंत्य उपयोगों आदि के लिए सीपीपी (कैप्टिव पावर प्लांट्स) /टीपीपी (थर्मल पावर प्लांट्स) में ऊर्जा के स्रोत के

रूप में लाभप्रद रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है।

4.1.2 स्वामी/माने गए स्वामी विभिन्न पर्यावरणीय अनुमत अंत्य उपयोगों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसके उपयोग के जरिए उत्पन्न एचसीवी रिजेक्ट्स से ऊर्जा की निकासी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पहल करेंगे। **यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली - 2016 के नियम-27 के अनुरूप है, जिसके लिए 1500 केसीएएल/कि.ग्रा. या इससे अधिक के उच्च कैलोरिफिक वैल्यू के ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा निकालने की आवश्यकता होती है।** स्वामी निर्दिष्ट प्रारूप में सभी संगत विवरण दर्शाते हुए ऐसी सभी पहलों (विफल/सफल) का रिकॉर्ड रखेंगे।

4.1.3 स्वामी/माना गया स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि एचसीवी रिजेक्ट्स की ऐसे अंत्य उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति की जाए जिनके पास इसके उपयोग के लिए वैध पर्यावरणीय मंजूरी/परमिट है।

4.1.4 जब कभी भी इस प्रकार एचसीवी रिजेक्ट्स के निस्तारण का निर्णय लिया जाता है, तो स्वामी/माना गया स्वामी निर्दिष्ट प्रारूप में इसके लिए आवेदन करके कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा। सीसीओ आवश्यक निरीक्षण कर सकता है और जीसीवी तथा अन्य विवरणों का पता लगाने के लिए भेजे जा रहे सीडब्ल्यूआर के नमूने ले सकता है।

4.2 वाशरी रिजेक्ट्स के वैकल्पिक उपयोग का अन्वेषण – दूसरी प्राथमिकता

4.2.1 यदि उपरोक्त पैरा-4.1 के तहत एचसीवी रिजेक्ट्स के लिए की गई पहलें फलित नहीं होती हैं, तो स्वामी/माना गया स्वामी एचसीवी रिजेक्ट्स के **अन्य अनुमत उपयोगों** का पता लगाएगा जैसे निर्माण सामग्री का प्रतिस्थापन (राजमार्गों, रेलवे, बांधों, तटबंधों आदि के लिए), भूमि सुधार, ईंट निर्माण, या कोई अन्य वैकल्पिक लाभप्रद उपयोग। एलसीवी रिजेक्ट्स के संबंध में भी यह कार्रवाई की जाएगी।

4.2.2 इस तरीके से एचसीवी रिजेक्ट्स के निस्तारण के लिए कार्रवाई तभी की जाएगी जब स्वामी/ माने गए स्वामी द्वारा उपरोक्त पैरा-4.1 के संदर्भ में रिजेक्ट्स का उपयोग करने के लिए सम्यक उद्यम किया गया हो। स्वामी/माने गए स्वामी द्वारा ऐसे सम्यक उद्यम के सभी दस्तावेजी साक्ष्य रखे जाएंगे।

4.2.3 जब कभी भी इस तरीके से एचसीवी/एलसीवी रिजेक्ट्स के निस्तारण का निर्णय लिया जाता है, तो स्वामी/माना गया स्वामी निर्दिष्ट प्रारूप में इसके लिए आवेदन करके कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा। स्वामी/माना गया स्वामी यह वचनबंध भी देगा कि पैरा-4.1 के अनुसार एचसीवी रिजेक्ट्स के निस्तारण के लिए उनके द्वारा सम्यक उद्यम किया गया था। सीसीओ आवश्यक निरीक्षण कर सकता है और जीसीवी तथा अन्य विवरणों का पता लगाने के लिए प्रेषित किए जा रहे सीडब्ल्यूआर के नमूने ले सकता है।

4.3 पर्यावरण अनुकूल तरीके से खान वॉइड्स/निम्नस्थ क्षेत्रों में वाशरी रिजेक्ट्स की डंपिंग

4.3.1 यदि उपर्युक्त पैरा-4.1 और पैरा-4.2 के तहत की गई सभी पहलें फलित नहीं होती हैं तो स्वामी/माना गया स्वामी सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित सभी सावधानियां बरतते हुए पर्यावरण अनुकूल तरीके से खान वॉइड्स या निम्नस्थ क्षेत्रों में वाशरी रिजेक्ट्स की डंपिंग के अंतिम विकल्प का सहारा ले सकता है, जैसा कि क़ानून और विभिन्न दिशा-निर्देशों में निर्धारित है। इस विकल्प को अपनाने के लिए शामिल निहितार्थ के उचित और पूर्व अध्ययन की आवश्यकता होगी तथा स्वत: तापन और जल निकायों के संभावित संदूषण से बचने के लिए उपयुक्त 'इंजीनियरिंग समाधानों' को अपनाना होगा।

4.3.2 इस तरीके से रिजेक्ट्स के निस्तारण के लिए कार्रवाई तभी की जाएगी जब स्वामी/माने गए स्वामी द्वारा उपर्युक्त पैरा-4.1 और पैरा-4.2 के संदर्भ में रिजेक्ट्स का उपयोग करने के लिए सम्यक उद्यम किया गया हो। आवश्यकता पड़ने पर सीसीओ के निरीक्षण/सत्यापन के लिए स्वामी/माने गए स्वामी द्वारा ऐसे सम्यक उद्यम के सभी दस्तावेजी साक्ष्य रखे जाएंगे।

4.3.3 यह स्वामी/माने गए स्वामी की जिम्मेदारी होगी कि वह खान वॉइड्स/निम्नस्थ क्षेत्रों को ढूंढकर उसका चयन करे तथा वह इनमें रिजेक्ट्स की डंपिंग करने के लिए खान वॉइड्स/निम्नस्थ क्षेत्र के मालिक के साथ उचित व्यवस्था करेगा।

4.3.4 **सभी कोयला खनन कंपनियां रिजेक्ट्स की डंपिंग के लिए उपयुक्त परित्यक्त खान वॉइड्स/प्रचालनरत खानों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करेंगी और इसे सीसीओ को प्रस्तुत करेंगी। ऐसी खानों की सूची कोयला कंपनियों द्वारा सालाना अद्यतित की जाएगी।**

4.3.5 जब भी इस तरीके से रिजेक्ट्स के निस्तारण का निर्णय लिया जाता है, तो स्वामी/माना गया स्वामी निर्दिष्ट प्रारूप में इसके लिए आवेदन करके कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा। वह खान वॉइड/निम्नस्थ क्षेत्र के मालिक के साथ किए गए समझौते, डंपिंग, परिवहन और डंपिंग का तरीका, प्रस्तावित सावधानियों, पर्यवेक्षण का स्वरूप, अंतिम सुधार के तरीके आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले कुल क्षेत्र को दर्शाने वाली स्थल योजना को संलग्न करेगा। स्वामी/माना गया स्वामी यह वचनबंध भी देगा कि पैरा-4.1 और पैरा-4.2 के अनुसार रिजेक्ट्स के निस्तारण के लिए उनके द्वारा सम्यक उद्यम किया गया था। सीसीओ आवश्यक निरीक्षण कर सकता है और जीसीवी तथा अन्य विवरणों का पता लगाने के लिए प्रेषित किए जा रहे सीडब्ल्यूआर के नमूने ले सकता है।

4.3.6 स्वामी/माना गया स्वामी स्थल के अंतिम सुधार के लिए सीसीओ को गारंटी के रूप में 5.0 (पांच) लाख रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से बैंक गारंटी (बीजी) जमा करेगा। तथापि, यदि प्रस्तावित खान के लिए पहले ही अनुमोदित खनन योजना/खान बंद करने की योजना है, तो इस संबंध में खान का वचनबंध प्रस्तुत किए जाने पर बीजी जमा करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है।

4.3.7 यह सुनिश्चित करना स्वामी/माने गए स्वामी की जिम्मेदारी होगी कि सभी सावधानियां और सुरक्षा उपाय किए जाएं ताकि सुरक्षित तरीके से रिजेक्ट्स का पर्यावरण अनुकूल निस्तारण सुनिश्चित

किया जा सके। सीसीओ और अन्य सांविधिक एजेंसियां ऐसे दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डंपिंग स्थल(लों) का आवधिक निरीक्षण कर सकती हैं।

4.3.8 स्वामी/माने गए स्वामी द्वारा डंपिंग और अंतिम सुधार पूरा होने के बाद, सीसीओ द्वारा रिजेक्ट डंपिंग स्थल का निरीक्षण किया जाएगा ताकि मौजूदा सुधार और एहतियाती उपायों की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सके। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो सीसीओ, स्वामी/माने गए स्वामी द्वारा की जाने वाली उपचारात्मक कार्रवाई के बारे में पूछ सकता है। ऐसा न होने पर, सीसीओ, स्वामी/माने गए स्वामी द्वारा जमा की गई बीजी को भुनाकर किसी तीसरे पक्ष द्वारा यह कार्य पूरा करवाएगा। बीजी को वापस लौटाने के लिए स्थल को तब तक बंद घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि सीसीओ द्वारा यह प्रमाणित न किया जाए कि स्थल का पर्याप्त रूप से सुधार किया जा चुका है। सीसीओ, स्वामी/माने गए स्वामी के खर्च पर इस तरह के निरीक्षण करने के लिए एक मान्यता प्राप्त स्वतंत्र एजेंसी की सेवाएं प्राप्त कर सकता है।

4.3.9 स्वामी/माना गया स्वामी निर्दिष्ट प्रारूप में सभी संगत विवरणों के साथ रिजेक्ट डंपिंग के ऐसे सभी मामलों का रिकॉर्ड रखेगा।

4.4 एफएसए प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर कोयला प्राप्त करने वाले लिंकेज धारकों (विनियमित क्षेत्र) और आवंटन प्रणाली के माध्यम से आवंटित कोयला ब्लॉक के मालिकों के लिए अतिरिक्त दायित्व।

4.4.1 राष्ट्रीय कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी)/ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) के अनुसार, दीर्घकालिक लिंकेज के तहत कोयला लेने वाले लिंकेज धारक और कोयला ब्लॉक मालिक (आवंटन पद्धति) ही एफएसए/आवंटन आदेश के अनुसार निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कोयले के कुशल उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं।

4.4.2 **यदि कोयले को थर्ड पार्टी की वाशरी में धोया जाता है तो ऐसे लिंकेज धारक/ब्लॉक मालिक और यदि, जैसा कि पैरा 2.5 में उल्लेख किया गया है, वाशरी ऑपरेटर के साथ किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है तो उक्त वाशरी ऑपरेटर (माना गया स्वामी) रिजेक्ट्स के प्रबंधन और निस्तारण के लिए उत्तरदायी होगा।**

4.4.3 लिंकेज धारकों/ब्लॉक मालिकों को रिजेक्ट्स के निस्तारण/वाशरी ऑपरेटर के साथ समझौते से प्राप्त लाभों और ऐसे लेन-देन से प्राप्त लाभों को जनता तक पहुंचाने की कार्यप्रणाली की घोषणा करनी होगी। इस संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी है तो इसे संबंधित विद्युत नियामक या अन्य प्राधिकरणों,यदि कोई हो, को देनी होगी।

5. अभिलेखों का रखरखाव और विवरण प्रस्तुत करना

5.1 स्वामी/माना गया स्वामी पिछले पैराग्राफों में निर्दिष्ट सभी अभिलेखों और प्रचलित विभिन्न प्रयोज्य कानूनों/दिशा-निर्देशों/आदेशों के तहत रखे जाने वाले आवश्यक सभी अभिलेखों का रखरखाव

करेगा।

6. **निगरानी और नियंत्रण**

6.1 तीनों पद्धतियों में से किसी के अंतर्गत भी रिजेक्ट के निस्तारण के लिए अनुमति प्रदान करने के बाद, सीसीओ संबंधित वाशरी का निरीक्षण कर सकता है, स्वामी/माने गए स्वामी द्वारा रखे गए अभिलेखों की जांच कर सकता है और जीसीवी की पुष्टि करने के लिए रिजेक्ट स्टॉक/मार्गस्थ रिजेक्ट से नमूने ले सकता है। सीसीओ ऐसे निरीक्षण करेगा और अन्य संगत विवरणों के साथ इसका रिकॉर्ड रखेगा।

6.2 रिजेक्ट्स के प्रबंधन और निस्तारण की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए सीसीओ वाशरियों और रिजेक्ट प्रबंधन स्थलों का भी नियमित/औचक निरीक्षण करेगा। जैसा कि पिछले पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है सीसीओ, स्वामी/माने गए स्वामी द्वारा रखे गए विभिन्न अभिलेखों की जांच कर सकता है और रिजेक्ट स्टॉक या किसी अन्य वाशरी उत्पाद के स्टॉक से नमूना लेकर उसकी जांच भी करा सकता है।

6.3 इस नीति के प्रावधानों के तहत सीसीओ द्वारा लिए गए सभी नमूने और उनकी जांच की लागत स्वामी/माने गए स्वामी द्वारा वहन की जाएगी।

7. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में कुछ भी स्वामी/माने गए स्वामी को मंत्रालय/कोयला कंपनियों के साथ निष्पादित विभिन्न समझौतों के तहत अन्य लागू कानूनों और दायित्वों के अंतर्गत विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने से विमुक्त नहीं करेगा। इसी प्रकार वर्तमान नीति संबंधित संविधियों/समझौतों के अंतर्गत कोयला वाशरियों के संबंध में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विभिन्न सांविधिक निकायों/राज्य प्राधिकरणों/कोयला कंपनियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी।

2. चूंकि सक्षम प्राधिकारी ने उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित **वाशरी रिजेक्ट्स के प्रबंधन एवं निस्तारण के लिए नीति** को मंजूरी दे दी है, इसलिए आगे की कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों को नीति परिचालित की जा सकती है। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समय-समय पर इस मंत्रालय को भेजी जाएगी।

भवदीय,
ह/-
(सुजीत कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

निम्नलिखित को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति:

1. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता
2. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, तेलंगाना

निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति:

1. कोयला मंत्री के पीएस
2. सचिव कोयला के पीएसओ। कोयला मंत्रालय
3. अपर सचिव (वीकेटी), कोयला मंत्रालय के पीपीएस
4. अपर सचिव (एमएन), कोयला मंत्रालय के पीपीएस

5. संयुक्त सचिव (एसबीएन), कोयला मंत्रालय के पीपीएस
6. संयुक्त सचिव (बीपीपी), कोयला मंत्रालय के पीपीएस
7. संयुक्त सचिव (वीटी), कोयला मंत्रालय के पीपीएस
8. संयुक्त सचिव एवं एफए, कोयला मंत्रालय के पीपीएस
9. आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय के पीएस
10. डीडीजी, कोयला मंत्रालय के पीएस
11. निदेशक (टी), कोयला मंत्रालय के पीएस

निम्नलिखित को प्रति:

1. निदेशक, एनआईसी, कोयला मंत्रालय - इसे कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
2. अवर सचिव, सतर्कता अनुभाग, कोयला मंत्रालय को सतर्कता अनुभाग के का.ज्ञा. सं.13029/09/2014-सतर्कता दिनांक 14.04.2021 के संदर्भ में।

Signature Not Verified

Digitally signed by SUJEET KUMAR
Date: 2021.06.07 14:12:51 IST